NCCL
NCDEX Group Company

NATIONAL COMMODITY CLEARING LIMITED

Circular to all Clearing Members of the Clearing Corporation
Circular No. : NCCL/MEMBERSHIP-002/2023
Date : February 06, 2023
Subject : Securities and Exchange Board of India (change in control in intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023

This is with reference to SEBI Gazette notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115 dated January 17, 2023.

The term of "Change in Control" as defined in the various regulations including the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, is amended in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023.

The said SEBI Notification is attached as Annexure for ready reference of the members.

Members are requested to take note and ensure compliance with the above regulatory requirements.

For and on behalf of
National Commodity Clearing Limited.

Disha Thakker
Senior Manager - Regulatory

Encl.: Annexure

For further information, / clarifications, please contact
1. Customer Service Group on toll free number: 1800 266 6007
2. Customer Service Group by e-mail to : contactus@nccl.co.in

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18012023-242059
CG-MH-E-18012023-242059

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2023/पौष 27, 1944
No. 41] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2023/PAUSHA 27, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 17 जनवरी, 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन)] (संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/115.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) एवं खंड (खक), धारा 12 के साथ पठित धारा 30 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वॉल्ट प्रबंधक) विनियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन)] (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 में संशोधन

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) में खंड (कग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

" "नियंत्रण में परिवर्तन" का अर्थ, -

(i) निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के मामले में, –

(क) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, तो अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत बनाए गए विनियमों में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा;

(ख) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) न हों, तो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (27) में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा ;

(ii) निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) को छोड़कर अन्य मामले में, कानूनी तौर पर उसकी संरचना या उसके स्वामित्व या नियंत्रक हित (कंट्रोलिंग इंटरेस्ट) में किसी परिवर्तन के रूप में लगाया जाएगा |

स्पष्टीकरण – उप-खंड (ii) के प्रयोजनार्थ, शब्दों "नियंत्रक हित (कंट्रोलिंग इंटरेस्ट)" का अर्थ है – कम से कम पचास प्रतिशत तक के मताधिकार या हित (फिर चाहे प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष);"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992 में संशोधन

4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992 में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) में खंड (कघ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

" "नियंत्रण में परिवर्तन" का अर्थ, निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के मामले में, –

(क) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, तो अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत बनाए गए विनियमों में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा;

(ख) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) न हों, तो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (27) में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा ;"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 में संशोधन

5. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 में, विनियम 2 के खंड (कङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

" "नियंत्रण में परिवर्तन" का अर्थ, निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के मामले में, –

(क) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, तो अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत बनाए गए विनियमों में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा;

(ख) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) न हों, तो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (27) में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा ;"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 में संशोधन

6. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 में, विनियम 2 के खंड (खग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्, -

" "नियंत्रण में परिवर्तन" का अर्थ, -

(i) निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के मामले में, –

(क) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, तो अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत बनाए गए विनियमों में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा;

(ख) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) न हों, तो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (27) में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा ;

(ii) निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) को छोड़कर अन्य मामले में, कानूनी तौर पर उसकी संरचना या उसके स्वामित्व या नियंत्रक हित (कंट्रोलिंग इंटरेस्ट) में किसी परिवर्तन के रूप में लगाया जाएगा |

स्पष्टीकरण – उप-खंड (ii) के प्रयोजनार्थ, शब्दों "नियंत्रक हित (कंट्रोलिंग इंटरेस्ट)" का अर्थ है – कम से कम पचास प्रतिशत तक के मताधिकार या हित (फिर चाहे प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष);"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 में संशोधन

7. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 में, विनियम 2 के खंड (कङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्, -

" "नियंत्रण में परिवर्तन" का अर्थ, निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के मामले में, –

(क) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, तो अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत बनाए गए विनियमों में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा;

(ख) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) न हों, तो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (27) में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा ;"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 में संशोधन

8. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 में, विनियम 2 में खंड (ख) के बाद और खंड (ग) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -

"(खक) "नियंत्रण में परिवर्तन" का अर्थ, निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के मामले में, –

(क) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, तो अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत बनाए गए विनियमों में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा;

(ख) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) न हों, तो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (27) में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा ;"

9. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 में, विनियम 9 में खंड (ख) के बाद और खंड (ग) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -

"(कक) यह नियंत्रण में परिवर्तन होने के मामले में बोर्ड की पूर्व मंजूरी प्राप्त करेगा, उसी प्रकार जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए;"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 में संशोधन

10. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) में खंड (ङ-ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्, -

" "नियंत्रण में परिवर्तन" का अर्थ, निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के मामले में,–

(क) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, तो अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत बनाए गए विनियमों में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा;

(ख) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) न हों, तो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (27) में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा ;"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011 में संशोधन

11. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011 में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) में खंड (घक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्, -

" "नियंत्रण में परिवर्तन" का अर्थ, निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के मामले में,–

(क) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, तो अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत बनाए गए विनियमों में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा;

(ख) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) न हों, तो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (27) में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा ;"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में संशोधन

12. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) में खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्, -

" "नियंत्रण में परिवर्तन" का अर्थ, -

(i) निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के मामले में, –

(क) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, तो अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत बनाए गए विनियमों में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा;

(ख) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) न हों, तो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (27) में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा ;

(ii) निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) को छोड़कर अन्य मामले में, कानूनी तौर पर उसकी संरचना या उसके स्वामित्व या नियंत्रक हित (कंट्रोलिंग इंटरेस्ट) में किसी परिवर्तन के रूप में लगाया जाएगा |

स्पष्टीकरण – उप-खंड (ii) के प्रयोजनार्थ, शब्दों "नियंत्रक हित (कंट्रोलिंग इंटरेस्ट)" का अर्थ है – कम से कम पचास प्रतिशत तक के मताधिकार या हित (फिर चाहे प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष);"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 में संशोधन

13. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) में खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्, -

" "नियंत्रण में परिवर्तन" का अर्थ, -

(i) निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के मामले में, –

(क) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, तो अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत बनाए गए विनियमों में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा;

(ख) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) न हों, तो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (27) में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा ;

(ii) निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) को छोड़कर अन्य मामले में, कानूनी तौर पर उसकी संरचना या उसके स्वामित्व या नियंत्रक हित (कंट्रोलिंग इंटरेस्ट) में किसी परिवर्तन के रूप में लगाया जाएगा |

स्पष्टीकरण – उप-खंड (ii) के प्रयोजनार्थ, शब्दों "नियंत्रक हित (कंट्रोलिंग इंटरेस्ट)" का अर्थ है – कम से कम पचास प्रतिशत तक के मताधिकार या हित (फिर चाहे प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष);"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 में संशोधन

14. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) में खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्, -

" "नियंत्रण में परिवर्तन" का अर्थ, -

(i) निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के मामले में, –

(क) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, तो अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत बनाए गए विनियमों में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा;

(ख) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) न हों, तो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (27) में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा ;

(ii) निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) को छोड़कर अन्य मामले में, कानूनी तौर पर उसकी संरचना या उसके स्वामित्व या नियंत्रक हित (कंट्रोलिंग इंटरेस्ट) में किसी परिवर्तन के रूप में लगाया जाएगा |

स्पष्टीकरण – उप-खंड (ii) के प्रयोजनार्थ, शब्दों "नियंत्रक हित (कंट्रोलिंग इंटरेस्ट)" का अर्थ है – कम से कम पचास प्रतिशत तक के मताधिकार या हित (फिर चाहे प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष);"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में संशोधन

15. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) में खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्, -

" "नियंत्रण में परिवर्तन" का अर्थ, -

(i) निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के मामले में, –

(क) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, तो अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत बनाए गए विनियमों में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा;

(ख) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) न हों, तो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (27) में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा ;

(ii) निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) को छोड़कर अन्य मामले में, कानूनी तौर पर उसकी संरचना या उसके स्वामित्व या नियंत्रक हित (कंट्रोलिंग इंटरेस्ट) में किसी परिवर्तन के रूप में लगाया जाएगा |

स्पष्टीकरण – उप-खंड (ii) के प्रयोजनार्थ, शब्दों "नियंत्रक हित (कंट्रोलिंग इंटरेस्ट)" का अर्थ है – कम से कम पचास प्रतिशत तक के मताधिकार या हित (फिर चाहे प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष);"

16. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) में खंड (च) हट जाएगा |

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में संशोधन

17. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में, विनियम 2 में उप-विनियम (1) में खंड (घ) हट जाएगा |

18. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) में खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्, -

" "नियंत्रण में परिवर्तन" का अर्थ, निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के मामले में,–

(क) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, तो अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत बनाए गए विनियमों में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा;

(ख) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) न हों, तो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (27) में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा ;"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वॉल्ट प्रबंधक) विनियम, 2021 में संशोधन

19. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वॉल्ट प्रबंधक) विनियम, 2021 में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) में खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

" "नियंत्रण में परिवर्तन" का अर्थ, निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के मामले में,–

(क) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, तो अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत बनाए गए विनियमों में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा;

(ख) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) न हों, तो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (27) में दी गई नियंत्रण की परिभाषा के संदर्भ में लगाया जाएगा ;"

20. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वॉल्ट प्रबंधक) विनियम, 2021 में, विनियम 8 में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्, -

“(ख) वॉल्ट प्रबंधक नियंत्रण में परिवर्तन होने के मामले में बोर्ड की पूर्व मंजूरी प्राप्त करेगा, उसी प्रकार जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए;” |

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./567/2022-23]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th January, 2023

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (CHANGE IN CONTROL IN INTERMEDIARIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115.—In exercise of the powers conferred by section 30 read with clauses (b) and (ba) of sub-section (2) of section 11, section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) and section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994, Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996, Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011, Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013, Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018, Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020 and Securities and Exchange Board of India (Vault Managers) Regulations, 2021, namely, -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, the clause (ac) in sub-regulation (1) of regulation 2, shall be substituted as under, namely,-

““Change in control” –

(i) in case of a body corporate –

(A) if its shares are listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control in terms of regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Act;

(B) if its shares are not listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control as provided in sub-section (27) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(ii) in a case other than that of a body corporate, shall be construed as any change in its legal formation or ownership or change in controlling interest.

Explanation – For the purpose of sub-clause (ii), the expression “controlling interest” means an interest, direct or indirect, to the extent of not less than fifty percent of voting rights or interest;”

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992.

4. In the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, the clause (ad) in sub-regulation (1) of regulation 2, shall be substituted as under, namely, -

““Change in control” in case of a body corporate –

(A) if its shares are listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control in terms of regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Act;

(B) if its shares are not listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control as provided in sub-section (27) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);"

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993.

5. In the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, the clause (ae) of regulation 2, shall be substituted as under, namely, -

""Change in control" in case of a body corporate –

(A) if its shares are listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control in terms of regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Act;

(B) if its shares are not listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control as provided in sub-section (27) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);"

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993.

6. In the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, the clause (bc) of regulation 2, shall be substituted as under, namely, -

""Change in control" –

(i) in case of a body corporate –

(A) if its shares are listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control in terms of regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Act;

(B) if its shares are not listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control as provided in sub-section (27) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(ii) in a case other than that of a body corporate, shall be construed as any change in its legal formation or ownership or change in controlling interest.

Explanation – For the purpose of sub-clause (ii), the expression "controlling interest" means an interest, direct or indirect, to the extent of not less than fifty percent of voting rights or interest;"

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994.

7. In the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994, the clause (ae) of regulation 2, shall be substituted as under, namely, -

""Change in control" in case of a body corporate –

(A) if its shares are listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control in terms of regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Act;

(B) if its shares are not listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control as provided in sub-section (27) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);"

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996.

8. In the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996, after clause (b) and before clause (c) in regulation 2, the following shall be inserted, namely, -

""(ba) Change in control" in case of a body corporate –

(A) if its shares are listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control in terms of regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Act;

(B) if its shares are not listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control as provided in sub-section (27) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

9. In the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996, after clause (a) and before clause (b) in regulation 9, the following shall be inserted, namely, -

"(aa) it shall obtain prior approval of the Board in case of change in control in such manner as specified by the Board;"

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999.

10. In the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, the clause (eii) in sub-regulation (1) of regulation 2, shall be substituted as under, namely, -

““Change in control” in case of a body corporate –

(A) if its shares are listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control in terms of regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Act;

(B) if its shares are not listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control as provided in sub-section (27) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);”

Amendment to the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011.

11. In the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011, the clause (da) in sub-regulation (1) of regulation 2, shall be substituted as under, namely, -

““Change in control” in case of a body corporate –

(A) if its shares are listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control in terms of regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Act;

(B) if its shares are not listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control as provided in sub-section (27) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);”

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012.

12. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, the clause (f) in sub-regulation (1) of regulation 2, shall be substituted as under, namely, -

““Change in control” –

(i) in case of a body corporate –

(A) if its shares are listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control in terms of regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Act;

(B) if its shares are not listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control as provided in sub-section (27) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(ii) in a case other than that of a body corporate, shall be construed as any change in its legal formation or ownership or change in controlling interest.

Explanation – For the purpose of sub-clause (ii), the expression “controlling interest” means an interest, direct or indirect, to the extent of not less than fifty percent of voting rights or interest;”

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013.

13. In the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013, the clause (e) in sub-regulation (1) of regulation 2, shall be substituted as under, namely, -

““Change in control” –

(i) in case of a body corporate –

(A) if its shares are listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control in terms of regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Act;

(B) if its shares are not listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control as provided in sub-section (27) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(ii) in a case other than that of a body corporate, shall be construed as any change in its legal formation or ownership or change in controlling interest.

Explanation – For the purpose of sub-clause (ii), the expression “controlling interest” means an interest, direct or indirect, to the extent of not less than fifty percent of voting rights or interest;”

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014.

14. In the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, the clause (f) in sub-regulation (1) of regulation 2, shall be substituted as under, namely, -

"“Change in control” –

(i) in case of a body corporate –

(A) if its shares are listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control in terms of regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Act;

(B) if its shares are not listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control as provided in sub-section (27) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(ii) in a case other than that of a body corporate, shall be construed as any change in its legal formation or ownership or change in controlling interest.

Explanation – For the purpose of sub-clause (ii), the expression “controlling interest” means an interest, direct or indirect, to the extent of not less than fifty percent of voting rights or interest;"

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018.

15. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018, the clause (e) in sub-regulation (1) of regulation 2, shall be substituted as under, namely, -

"“Change in control” –

(i) in case of a body corporate –

(A) if its shares are listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control in terms of regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Act;

(B) if its shares are not listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control as provided in sub-section (27) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(ii) in a case other than that of a body corporate, shall be construed as any change in its legal formation or ownership or change in controlling interest.

Explanation – For the purpose of sub-clause (ii), the expression “controlling interest” means an interest, direct or indirect, to the extent of not less than fifty percent of voting rights or interest;"

16. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018, the clause (f) in sub-regulation (1) of regulation 2, shall be omitted.

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020.

17. In the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, the clause (d) in sub-regulation (1) of regulation 2, shall be omitted.

18. In the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, the clause (e) in sub-regulation (1) of regulation 2, shall be substituted as under, namely, -

"“Change in control” in case of a body corporate –

(A) if its shares are listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control in terms of regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Act;

(B) if its shares are not listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control as provided in sub-section (27) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);"

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Vault Managers) Regulations, 2021.

19. In the Securities and Exchange Board of India (Vault Managers) Regulations, 2021, the clause (f) in sub-regulation (1) of regulation 2, shall be substituted as under, namely, -

"“Change in control” in case of a body corporate –

(A) if its shares are listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control in terms of regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Act;

(B) if its shares are not listed on any recognised stock exchange, shall be construed with reference to the definition of control as provided in sub-section (27) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

20. In the Securities and Exchange Board of India (Vault Managers) Regulations, 2021, in regulation 8, the clause (b) shall be substituted as under, namely, -

"(b) the Vault Manager shall obtain prior approval of the Board in case of change in control in such manner as specified by the Board;"

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./567/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA